रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24102025-267113
CG-DL-E-24102025-267113

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 692] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 22, 2025/आश्विन 30, 1947
No. 692] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 22, 2025/ASVINA 30, 1947

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अक्तूबर, 2025

सा.का.नि. 776(अ).—केंद्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खनिज (नीलामी) नियम, 2015 का और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खनिज (नीलामी) तीसरा संशोधन नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. खनिज (नीलामी) नियम, 2015 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त नियम' कहा जाएगा) के नियम 6 के उपनियम (4) के स्थान पर निम्न्लिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात:—

“(4) जहाँ राज्य सरकार ने किसी खान की नीलामी किसी विशिष्ट विनिर्दिष्ट अंतिम उपयोग के लिए कैप्टिव खान के रूप में की है, वहां ऐसे पट्टे का पट्टाधारक ऐसी खान से उत्पादित खनिज का खान के साथ संयोजित अंतिम उपयोग संयंत्र की अपेक्षा को पूरा करने के पश्चात और अधिनियम की छठी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट ऐसी अतिरिक्त रकम के संदाय पर, विक्रय कर सकेगा।”।

3. उक्त नियमों के नियम 8 के उपनियम (5) में, "तो सफल बोली लगाने वाले द्वारा उपनियम (2) के अधीन यथा उद्धरित प्रेषित खनिज मूल्य की प्रतिशतता ऐसे प्रत्येक खनिज के संबंध मे राज्य सरकार को संदाय करने के प्रयोजन के लिए लागू होगी" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर "तो ऐसे खनिजों को धारा 15ख के उपबंधों के अनुसार खनन पट्टे में सम्मिलित किया जा सकेगा" शब्द, अंक और अक्षर रखे जायेंगे।

4. उक्त नियमों के नियम 10 में, —

(i) उपनियम 7 के परंतुक में, "के लिए" शब्दों के पश्चात्, "धारा 15ख और" शब्द और अंक अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ii) उपनियम 8 में, "ऐसे नियमों" शब्दों के स्थान पर "धारा 15ख और नियमों" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

5. उक्त नियमों के नियम 16 के उपनियम (1) में, परंतुक का लोप किया जाएगा।

6. उक्त नियमों के नियम 18 में,—

(i) उपनियम 11 के परंतुक में, "के लिए" शब्दों के पश्चात्, "धारा 15ख और" शब्द और अंक अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ii) उपनियम 12 में, "ऐसे नियमों" शब्दों के स्थान पर "धारा 15ख और नियमों" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

7. उक्त नियमों के नियम 21 के उपनियम (1) में, खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(ख) पहली अनुसूची के भाग ख में यथाविनिर्दिष्ट किसी भी परमाणु खनिज को, जहां परमाणु खनिज की श्रेणी अधिसूचित अवसीमा मूल्य के समतुल्य है या उससे अधिक है, ऐसे परमाणु खनिजों से भिन्न अन्य खनिजों के संबंध में अनुदत्त खनन पट्टे में सम्मिलित नहीं किया जाएगा;"।

[फा. सं. एम.VI-16/112/2025-खान VI]

दिनेश माहुर, संयुक्त सचिव

टिप्पण:— मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 406(अ) तारीख 20 मई, 2015 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और *संख्या सा.का.नि. 764*(अ) तारीख 17 अक्टूबर, 2025 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF MINES

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd October, 2025.

G.S.R. 776(E).—In exercise of the powers conferred by section 13 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Mineral (Auction) Rules, 2015, namely:—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Mineral (Auction) Third Amendment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Mineral (Auction) Rules, 2015 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 6, in sub-rule (4), for the words, brackets and figures "before the commencement of the Mineral (Auction) Second Amendment Rules, 2021, up to fifty per cent. of total mineral produced in such captive mine in a financial year may be sold in market while ensuring that not less than fifty per cent. of total mineral produced in such captive mine shall be used during the financial year for", the words, ", lease holder of such lease may sell mineral produced from such mine after" shall be substituted.

3. In the said rules, in rule 8, in sub-rule (5), for the words, brackets and figure ", the percentage of value of mineral despatched as quoted by the successful bidder under sub-rule (3) shall be applicable for the purpose of payment to the State Government in respect of each such mineral", the words, figures and letter "then such minerals may be included in the mining lease in accordance with the provisions of section 15B" shall be substituted.

4. In the said rules, in rule 10,—

(i) in sub-rule (7), in the proviso, after the words "provisions of", the words, figure and letter "section 15B and" shall be inserted;

(ii) in sub-rule (8), for the words "such rules", the words, figure and letter "section 15B and the rules" shall be substituted.

5. In the said rules, in rule 16, in sub-rule (1), the proviso shall be omitted.

6. In the said rules, in rule 18,—

(i) in sub-rule (11), in the proviso, after the words "provisions of", the words, figure and letter "section 15B and" shall be inserted;

(ii) in sub-rule (12), for the words "such rules", the words, figure and letter "section 15B and the rules" shall be substituted.

7. In the said rules, in rule 21, in sub-rule (1), for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:—

"(b) no atomic mineral as specified in Part B of the First Schedule where the grade of atomic mineral is equal to or above the notified threshold value shall be included in the mining lease granted in respect of minerals other than such atomic minerals;".

[F. No. M.VI-16/112/2025-Mines VI]

DINESH MAHUR, Jt. Secy.

Note:—The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 406(E), dated the 20th May, 2015 and was last amended, vide number G.S.R. 764(E), dated the 17th October, 2025.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA